

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. CFO/FS/SCHOOL/2020


Dated: 04-Sep-2020

Certified that the **M.V. CONVENT SCHOOL & COLLEGE** (name of the building or premises) at **Village-Pawri Post-Panwar(Jasra),PRAYAGRAJ** (address) comprised **01 (One basement 25 Rooms)** and **02(Two upper floors 50 Rooms)** owned/occupied by **M.V. CONVENT SCHOOL & COLLEGE** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service on **31/08/2020** (date of inspection) in the presence of **Vachaspati -33 G/2 Jayantipur, Sulem Sarai, Prayagraj** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that building/premises is fit for occupancy **class01 to 10** with effect from **04/Sep/2020** for a period of **01 (One)** years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on **04/09/2020** at Prayagraj by CFO Prayagraj.

•Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:


 मुख्याग्निशमन अधिकारी
 प्रयागराज

Name : R.S. Mishra

Designation : Chief Fire Officer

To
 Manager
 M.V. Convent School & College
 Village-Pawari,Post-Panwar(Jasra),
 PRAYAGRAJ

(Name and Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to.....

(reasons to be recorded).

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

प्रयागराज।

पत्र संख्या:-सीएफओ/एफएस/2020

दिनांक:-सितम्बर 4, 2020

सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक,

एम0वी0 कान्चेन्ट स्कूल एण्ड कालेज,

ग्राम पवरी पोस्ट पंवर (जसरा) करछना प्रयागराज।

विषय- एम0वी0 कान्चेन्ट स्कूल एण्ड कालेज, ग्राम पवरी पोस्ट पंवर (जसरा) करछना प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आवदेक के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में ।


कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर एम0वी0 कान्चेन्ट स्कूल एण्ड कालेज, ग्राम पवरी पोस्ट पंवर (जसरा) करछना प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत हैं।

- 1- भवन भूतल व प्रथम तल तक निर्मित है।
- 2- भवन में अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ जा सकते हैं।
- 3- भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार उपलब्ध एवं कार्यशील पाये गये।
- 4- फायर स्टेशन का मो0 नं0 जगह-जगह लगे पाये गये हैं ।
- 5- भवन के प्रत्येक तल पर होजरील व भवन की टेरिस पर 10,000 ली0 का टेरिस टैंक व 450 एलपीएम का टेरिस टैंक लगाया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में लगे उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता हैं।

- 1- प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।
- 2- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।
- 4- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाना अपेक्षित है।
- 5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 6- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- 7- अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा फायर आडिट प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(आर0एस0मिअ)
(रवीन्द्र शुकल मिअ)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज